

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी:- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 राजीव गांधी सेवा केन्द्र बोला

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

1.जोगाराम पुत्र धर्माराम 2 हीराराम पुत्र तगाराम जाति जाट निवासी बोला तहसील व जिला बाड़मेर

1. मुकनाराम 2 मालाराम 3 टीकूराम 4 लालाराम पि० चौखाराम 5 बांकाराम 6 पीराराम 7 श्रीमती गैरों पिसरान/पत्नी हीराराम 8 श्रीमती हवा पत्नी वैनाराम 9 पीराराम 10 दीपाराम 11 देवाराम पि० लिखमाराम 12 सगताराम 13 गोमाराम 14 बाबूराम पि० गोजाराम 15 मानाराम पुत्र दानाराम 16 पुरखाराम पुत्र कलाराम 17 तुलसाराम 18 नारणाराम 19 रेखाराम 20 श्रीमती नेनू पिसरान/पत्नी लाखाराम जाति जाट निवासी बोला 21 डामराराम 22 बस्ताराम पि० नानगाराम 23 नखताराम 24 अगाराम 25 भीमाराम पिसरान दुर्गाराम जाट 26 ताराराम 27 भंवराराम 28 रमेश कुमार 29 नरपत कुमार 30 गणेश कुमार पि० अमराराम जाट निवासी सेजुओं की ढाणी 31 गुमानसिंह 32 आसूसिंह 33 जौमंतसिंह 34 ओमसिंह पि० गुलाबसिंह जाति राजपूत निवासी कनोड़ा 35 जोगाराम पुत्र पांचाराम 36 मोडाराम पुत्र लालाराम 37 पताराम पुत्र लालाराम 38 लखूराम पुत्र प्रभूराम 39 खेलाराम पुत्र प्रभूराम 40 गोरघनराम पुत्र मारूराम 41 वीराराम पुत्र ताराराम 42 कचराराम पुत्र उतमाराम 43 अर्जुनराम पुत्र लखूराम 44 चनणाराम पुत्र लखूराम 45 दमाराम पुत्र लखूराम 46 सूरताराम 47 मोडाराम 48 कंसूराम 49 सगताराम पि० जोधाराम 50 भीखाराम 51 सूजाराम 52 श्रीमती मीरों पिसरान/पत्नी रामजीराम 53 गेमराराम पुत्र जगरूपाराम 54 बागाराम पुत्र जगरूपाराम 55 नीम्बाराम पुत्र मानाराम 56 मेवाराम पुत्र तेजाराम 57 पपू पुत्र तेजाराम 58 कुसटाराम पुत्र डामराराम 59 शंकराराम पुत्र खुमाराम 60 श्रीमती अमेदी पत्नी खुमाराम 61 गुलाराम पुत्र पवाराम 62 खेलाराम पुत्र पवाराम 63 पुनमाराम पुत्र पवाराम जाति भील निवासी बोला 64 मुकीम खां पुत्र कालू खां, 65 हकीम खां पुत्र कालू खां 66 निजरा खां पुत्र बरियाम खां 67 ईशान खां पुत्र बरियाम खां 68 इब्राखं पुत्र धोधाखां जाति मुसलमान निवासी बोला तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या-68/2021 दिनांक-18.11.2021

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा बोला पटवार हल्का बोला तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 82, 502/83, 504/49 कुल रकबा 168.14 बीघा एवं खसरा नंबर 503/83, 505/49 कुल रकबा 168.14 कुल रकबा 337. 08 बीघा के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगद्दी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर

दिनांक- 19/11/2021

क्रमांक/रीडर/2021/6300-6303  
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत कृत वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बोला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्रवाई पूर्ण करावे।
3. प्रार्थी जोगाराम पुत्र धर्माराम वगैरह जातियान जाट निवासीयान बोला तहसील व जिला बाड़मेर
4. विप्रार्थी मुकनाराम पुत्र चौखाराम वगैरह जातियान जाट/राजपूत/मुसलमान निवासीयान बोला, सेजुओं की ढाणी विशाला आगौर, कनोड़ा तहसील व जिला बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर